

देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

-: अधिसूचना :-

अधिसूचना संख्या 1138/भू अ०

दिनांक : 23/10/19

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-चांदचौरा, थाना-करौं, थाना सं०-639, अंचल-करौं, जिला-देवघर में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा करौं(धर्मराज मंदिर, ढिवा-करौं पथ पर)-चांदचौरा-केन्दवरिया-आसनबनी-बुढ़ीकुरा (मदनकट्टा-मधुपुर पथ पर) पथ पुनर्निर्माण कार्य हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-चांदचौरा, थाना-करौं, थाना सं०-639, अंचल-करौं, जिला-देवघर में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 0.165 एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है :-

क. सं.	खात सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	6	28	रैयती	बाड़ी-1	0.01	धनराज सिंह, पे० तारणी सिंह। साकिन-करौं।	करौं, 652	करौं, 652	करौं, 652	रानीडी ह, 640
2	6	32	रैयती	बाड़ी-1	0.02	तथैव।				
3	8	2	रैयती	बाड़ी-1	0.03	नरेश सिंह वो सनयो सिंह, पे० विदेशी सिंह (ज०रै०) परेश कुमार सिंह वो सुरेश सिंह पे० सिदेश्वर सिंह वो नित्यानन्द प्र० सिंह वो माधव प्र० सिंह वो गणेश प्रसाद सिंह वो पांडव प्रसाद सिंह वो नलील प्रसाद सिंह पे० सरजू सिंह वो चन्द्रशेखर सिंह वो उमेश सिंह पे० गौरीशंकर प्रसाद सिंह। सा० देह।	करौं, 638	चौरब रिया, 638		
4	8	25	रैयती	बाड़ी-1	0.01	तथैव।				
5	9	38	रैयती	धानी-3	0.02	आसीत सिंह वो मानिक सिंह वो पूर्णानन्द सिंह वो दिनेश सिंह वो राजेश सिंह पे० जमुना सिंह। सा० देह।				
6	9	41	रैयती	पोखरा	0.04	तथैव।				
7	9	42	रैयती	धानी-3	0.01	तथैव।				
8	13	37	रैयती	धानी-3	0.02	राकेश कुमार सिंह पे० सदानन्द सिंह वो नकुल प्रसाद सिंह पे० हरियर सिंह वो उमेश सिंह वो निलेश सिंह पे० सोहन सिंह। सा० देह।				
9	13	40	रैयती	धानी-3	0.005	रामगोपाल सिंह पे० जगदीश सिंह वो धर्मेन्द्र सिंह वो शंकर सिंह पे० सत्यानन्द सिंह वो गीता देवी पति राजेश सिंह वो आशीष प्रसाद सिंह वो मनोज सिंह पे० बद्रीनारायण सिंह वो नवगोपाल सिंह वो प्रवीण सिंह पे० देवी प्रसाद सिंह। सा० देह।				
कुल रकबा-					0.165					

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक 1138 / भू अ०, देवघर, दिनांक 23/10/19

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, करौं को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित साथ ही अखबार में प्रकाशित अधिसूचना की प्रति जिला भू अर्जन कार्यालय, देवघर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी
देवघर
9/18/10/19

अपर समाहर्ता
देवघर
18/10/19

समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।